

## FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर, अलवर मुकाम अलवर

उनवान नेमीचन्द बनाम सरकार

किस्म मुकदमा प्रा0पत्र सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट नम्बर 15/58/2023 दा0दि0 20.03.2023

तारीख हुकम	हुकम की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12.06.2023	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन बोलेरो पिकअप रजि0 संख्या आरजे-14-जीए-2596 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी थाना ततारपुर पुलिस जिला भिवाड़ी से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। मुकामी थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 1198 दिनांक 23.04.2023 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को वाहन स्वामी को सुपुर्दगी पर दिया जावे तो मुकामी पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/- (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का तस्दीकशुदा सुपुर्दनामा एवं इसी कदर जमानतनामा पेश करे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द-बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। इसी अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा तस्दीकशुदा सुपुर्दनामा/जमानतनामा पेश किया। शामिल पत्रावली किया गया। थानाधिकारी थाना सदर, अलवर को जब्तशुदा वाहन बोलेरो पिकअप रजि0 संख्या आरजे-14-जीए-2596 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमान होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो।</p>	

जिला कलक्टर  
अलवर